

सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त नागपुर

बनाम

एम/एस इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड,

(सिविल अपील संख्या 637/2007)

अक्टूबर 07, 2015

[ए.के. सीकरी और आर. एफ. नरीमन, न्यायाधिपति]

उत्पाद शुल्क कानून - केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944- धारा 4-
उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का मूल्यांकन - अधिनियम की धारा 4 के प्रयोजन के
लिए माल को हटाने का स्थान - अवधि शामिल 28.09.1996 से 31.03.2003 तक -
चाहे, गुण से निर्माता के नाम पर ट्रांजिट बीमा पॉलिसी के मामले में, कारखाने के गेट
से खरीदार के परिसर तक माल के परिवहन के लिए किए गए माल दुलाई शुल्क पर
उत्पाद शुल्क की वसूली की जाती है, खरीदार के परिसर को हटाने की जगह के रूप में
माना जाता है - ठहराया: धारा 4 संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा प्रतिस्थापित को
1996 में एक और संशोधन का सामना करना पड़ा - किए गए संशोधन 28.9.1996 से
प्रभावी होने थे, जो वर्तमान मामले में तथ्यों पर प्रारंभिक बिंदु भी है- 28.9.1996 के
संशोधन अधिनियम से प्रभावी , हटाने की जगह का संदर्भ केवल उन स्थानों से है जहां
से निर्माता को उसके द्वारा निर्मित सामान बेचना है, और किसी भी परिस्थिति में,
डिलीवरी की जगह का संदर्भ नहीं हो सकता है, जो तथ्यों पर, खरीदार का परिसर हो
सकता है- एक संशोधन अधिनियम द्वारा जो 1.7.2000 को लागू हुआ, धारा 4 को एक
बार फिर प्रतिस्थापित किया गया - वर्तमान मामले में विचाराधीन दूसरी अवधि के
लिए, अर्थात् 1.7.2000 से 31.3.2003 तक, डिपो, कंसाइनमेंट एजेंट का परिसर या
कोई भी कारखाना से निकासी के बाद अन्य स्थान जहां से उत्पाद शुल्क योग्य सामान
बेचा जाना है, वे अब हटाने के स्थान नहीं हैं - साथ ही, "लेनदेन मूल्य" की परिभाषा

यह स्पष्ट करती है कि माल ढुलाई या परिवहन व्यय देय उत्पाद शुल्क की गणना में शामिल नहीं हैं - 14.5.2003 से प्रभावी एक संशोधन अधिनियम द्वारा, धारा 4 में फिर से संशोधन किया गया- 14.5.2003 को और उसके बाद 28.9.1996 से 1.7.2000 तक प्राप्त स्थिति को अब बहाल कर दिया गया है- 2003 में प्रतिस्थापित केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों का आर.5 भी इस स्थिति की पुष्टि करता है कि हटाने के स्थान से वितरण के स्थान तक परिवहन की लागत को ऐसे मामले में बाहर रखा जाए, बचाया जाए और सिवाए उस मामले में जहां कारखाना हटाने की जगह नहीं है - इस प्रकार, कानून में, यह स्पष्ट है कि 28.9.1996 से 1.7.2000 तक की अवधि के लिए, हटाने के स्थान का संदर्भ केवल उन स्थानों से है जहां से निर्माता द्वारा सामान बेचा जाना है, और डिलीवरी के स्थान का कोई संदर्भ नहीं है जो या तो सी खरीदार का परिसर हो सकता है या ऐसे अन्य परिसर जहां खरीदार निर्माता को अपना माल भेजने का निर्देश दे सकता है - राजस्व का तर्क कि माल ढुलाई शुल्क को शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि वर्तमान तथ्यों में बिक्री खरीदार के परिसर में हुई थी, गलत है - इसके अलावा, 1.7.2000 से 31.3.2003 की अवधि के लिए हटाने का कोई विस्तारित स्थान नहीं होगा, कारखाना परिसर या गोदाम (अनुभाग में उल्लेखित परिस्थितियों में), केवल हटाने के स्थान होने के नाते - इसलिए किन्हीं भी परिस्थितियों में खरीददार का परिसर वर्तमान मामले के तथ्यों पर धारा 4 के प्रयोजन के अंतर्गत लिए हटाने का स्थान - केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की कीमत का निर्धारण) नियम, 2000-आरआर 5 और 7 ।

सीसीई और सीमा शुल्क बनाम रूफिट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (2015) 319 ई.एल.टी. 221 (एस.सी.); आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुंबई-/// बनाम मैसर्स एम्को लिमिटेड [सिविल अपील 3418/2004 और सिविल अपील 8966/2011 में उच्चतम न्यायालय का 31 जुलाई 2015 का निर्णय] विशिष्ट।

एस्कॉर्ट्स जेसीबी लिमिटेड बनाम सीसीई (2003) 1 एससीसी 281; प्रभात जर्दा कारखाना लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त 2002 (146) ईएलटी 497 (एस.सी.); यूनियन ऑफ इंडिया बनाम बॉम्बे टायर इंटरनेशनल लिमिटेड (1984) 1 एससीसी 467; और वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (2003) 5 एससीसी 507 - पर निर्भर। ए.के. रॉय बनाम वोल्टास लिमिटेड (1973) 3 एससीसी 503; भारत सरकार बनाम मद्रास रबर कारखाना लिमिटेड (1995) 4 एससीसी 349 - संदर्भित।

केस लॉज संदर्भ

(2003) 1-एससीसी 281	निर्भर	अनुच्छेद 6
2002 (146) ईएलटी 497 (एस.सी.)	निर्भर	अनुच्छेद 7
(2015) 319 ई.एल.टी. 221 (एस.सी.)	विशिष्ट	अनुच्छेद 8
(1973) 3 एससीसी 503	संदर्भित	अनुच्छेद 11
(1984) 1 एससीसी 467	निर्भर	अनुच्छेद 13
(1995) 4 एससीसी 349	संदर्भित	अनुच्छेद 14
(2003) 5 एससीसी 507	निर्भर	अनुच्छेद 28

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 637/2007

अपील संख्या इ/4042/03 में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, पश्चिम क्षेत्रीय पीठ, मुंबई के निर्णय और आदेश संख्या A/1392/WZB/06-सी-III(ईबी), दिनांक 24.07.2006 से ।

ए.के. पांडा, वरिष्ठ वकील, अरिजीत प्रसाद, बी. कृष्णा प्रसाद, वकील अपीलकर्ता के लिए।

एस.के. बागरिया, वरिष्ठ वकील, सुश्री. प्रवीणा गौतम, विपीन जैन, शिरेन खन्ना, अजीत सिंह, एडवोकेट प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा सुनाया गया

आर. एफ. नरीमन, न्यायाधिपति।

1. वर्तमान अपील में शामिल मुद्दा यह है कि क्या निर्माता के नाम पर ट्रांजिट बीमा पॉलिसी के आधार पर, कारखाना गेट से माल के परिवहन के लिए किए गए माल ढुलाई शुल्क पर उत्पाद शुल्क वसूल किया जा सकता है, क्रेता के परिसर को निष्कासन का स्थान मानते हुए।

2. मैसर्स इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यहां प्रतिवादी, एच.आर. शीट/कॉइल्स, सी.आर. शीट/कॉइल और गैल्वनाइज्ड/रंगीन लेपित/शीट के निर्माण में लगी हुई है केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची के अध्याय 72 के अंतर्गत आने वाले। खुफिया जानकारी से पता चला कि मैसर्स इस्पात गलत घोषणा के माध्यम से केंद्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी में लिप्त थे। कारखाना का गेट हटाने की जगह थी, खरीदार का परिसर नहीं, जिसके परिणामस्वरूप उनके खरीदारों से वसूले गए माल ढुलाई शुल्क को उनके द्वारा देय केंद्रीय उत्पाद शुल्क की राशि निर्धारित करने में जोड़ने की मांग की गई थी। वर्तमान अपील में शामिल अवधि 28.9.1996 से 31.3.2003 तक है। उत्तरदाताओं को पांच कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि उनके द्वारा निर्मित माल में संपत्ति इस्पात के पास रही, जब माल पारगमन में था क्योंकि इस्पात ने पारगमन के दौरान माल के नुकसान या क्षति के जोखिम को कवर करने के लिए एक बीमा पॉलिसी ली थी। खरीद आदेशों के साथ-साथ ट्रांसपोर्टर्स के साथ समझौते से यह नहीं पता चला कि ट्रांसपोर्टर खरीदारों की ओर से डिलीवरी ले रहे थे।

इस सब की पुष्टि उप महाप्रबंधक श्री एस.पी. दहिवाड़े के एक बयान से हुई, जिसमें कहा गया था कि पारगमन में माल का स्वामित्व इस्पात के पास रहेगा। इस प्रकार यह कहा गया था कि खरीदार की जगह या डिलीवरी की जगह को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4 के प्रयोजन के लिए माल को हटाने की जगह के रूप में माना जाना चाहिए, और ऐसा होने पर, आवश्यक परिणाम यह होगा कि माल दुलाई शुल्क खरीदारों द्वारा इस्पात को किया गया भुगतान इस्पात द्वारा देय उत्पाद शुल्क में शामिल किया जाना चाहिए।

3. पांच कारण बताओ नोटिस के जवाब में, मै. इस्पात ने बताया कि उनकी सभी कीमतें पूर्व-कार्य थीं, और माल को केंद्रीय या स्थानीय बिक्री कर के भुगतान पर कारखाने से मंजूरी दे दी गई थी। उनकी अधिकांश बिक्री ग्राहक द्वारा खोले गए ऋण पत्रों या बैंक छूट सुविधाओं के माध्यम से हुई थी। कारखाने में सीधे ग्राहकों के नाम पर चालान तैयार किए गए थे, और बीमा कंपनी के नाम के साथ-साथ ट्रांजिट बीमा पॉलिसी की संख्या दोनों का उल्लेख किया गया था। चालान में उल्लेखित विवरण के आधार पर, लॉरी रसीद ट्रांसपोर्टर द्वारा तैयार की गई थी और खरीदार के नाम पर थी। इस रसीद में एक चेतावनी नोटिस के साथ-साथ एक नोटिस भी दिया गया था इस प्रभाव से कि डिलीवरी केवल खरीदार को ही की जानी थी, किसी और को नहीं।

4. मैसर्स. इस्पात ने आगे कहा कि ये लेनदेन उनके बिक्री रजिस्टर में दर्ज किए गए थे और बिक्री के रूप में दर्ज किए गए थे, ऐसी बिक्री से तैयार माल का स्टॉक या सूची कम हो गई थी। इस घटना में कि कोई बीमा दावा था, उक्त सामान की बिक्री के संबंध में ग्राहक से देय वसूली के विरुद्ध वसूली ग्राहक के खाता बही खाते में जमा की गई थी। उत्पाद शुल्क चालान उस समय तैयार किए गए थे जब माल ग्राहकों के नाम और पते पर कारखाने से निकला था, और एक बार माल ट्रांसपोर्टर को सौंप दिए जाने के बाद, प्रतिवादी के पास किसी भी तरीके से माल के निपटान का कोई अधिकार सुरक्षित नहीं था। इसके पास ट्रांसपोर्टर को सौंपे गए माल को डायवर्ट करने

का कोई अधिकार नहीं था और यह किसी विशेष ग्राहक के लिए किसी और को सौंप दिया गया था।

5. विद्वान आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 3.10.2003 द्वारा माना कि चूंकि ट्रांसपोर्टर के साथ बीमा समझौता इस्पात द्वारा किया गया था, जिसने पारगमन के दौरान माल की हानि या क्षति के जोखिम को कवर करने के लिए एक बीमा पॉलिसी ली थी, माल में संपत्ति इस्पात के पास रही और कारखाने के गेट पर खरीदार को हस्तांतरित नहीं की गई। यह भी माना गया कि ऑर्डर स्वीकृति प्रपत्र में यह उल्लेख किया गया था कि परिवहन इस्पात द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार, इस्पात ने ग्राहकों के दरवाजे तक माल के परिवहन की जिम्मेदारी ली थी। इसके अलावा, खरीद आदेशों के साथ-साथ ट्रांसपोर्टरों के साथ समझौते से यह नहीं पता चला कि ट्रांसपोर्टर खरीदार की ओर से डिलीवरी ले रहे थे। सबसे बढ़कर, श्री एस.पी. दहिवाडे, उप महाप्रबंधक, उत्पाद शुल्क, ने अपने दिनांक 5.2.2001 के बयान में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि जब तक ग्राहक को सामग्री वितरित नहीं की जाती, तब तक माल का स्वामित्व इस्पात के पास रहता है। इसके अलावा, चूंकि भुगतान की शर्तें सामग्री की प्राप्ति के 30 दिन बाद थीं और सामग्री के प्रेषण के 30 दिन बाद नहीं, इसलिए यह स्पष्ट है कि भुगतान किए जाने तक माल की संपत्ति इस्पात में ही रही। इसलिए, आयुक्त ने कहा:

"जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उक्त कारण बताओ नोटिस के तहत लगाए गए आरोप प्रमाणित हैं।

(i) मैं मैसर्स के कारखाने के गेट के बजाय ग्राहकों के परिसर को हटाने का वास्तविक स्थान मानता हूं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4(4) (बी) के उप खंड (iii) की शर्तों और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4 के उप खंड (3)

(सी) की शर्तों के अनुसार अवधि के लिए क्रमशः 28.09.96 से 30.06.2000 तक और 01.07.2000 से आगे।

(ii) मैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क की मांग की पुष्टि करता हूं रूपए 2,43,31,003/- (रु. दो करोड़ तैंतालीस लाख इकतीस हजार तीन मात्र), (रु. 2,16,09,006.00/- + रु. 1,77,828/- रु. 8,97,780/- + रु. 12,91,700/-) की और मैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 9(2) के तहत केंद्रीय अधिनियम, 1944 की धारा 38 ए और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11 ए के पहले प्रावधान के तहत उनसे इसकी वसूली का आदेश देता हूं, पाँच वर्ष की विस्तारित परिसीमा अवधि लागू करके।

(iii) मैं उन पर पूर्ववर्ती केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 173 क्यू और 9(2)केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11AC के साथ, के तहत 2,43,31,003/- रुपये (केवल दो करोड़ तैंतालीस लाख इकतीस हजार तीन रुपये) का जुर्माना लगाता हूं।

(iv) मैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 एबी के तहत उनसे उचित ब्याज की वसूली का आदेश देता हूं।"

6. यहां उत्तरदाताओं की अपील पर, सीईएसटीएटी ने अपने निर्णय दिनांक 24.7.2006 द्वारा, आयुक्त के आदेश को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि मामले के तथ्यों पर, एस्कॉर्ट्स जेसीबी लिमिटेड बनाम सीसीई, (2003)एससीसी 281 में इस न्यायालय ने मुद्दे को इस्पात के पक्ष में निर्णित कर समाप्त किया। CESTAT ने बोर्ड के दिनांक 3.3.2003 के परिपत्र पर भी निर्भर किया, जिसमें स्वीकार किया गया था कि पारगमन में माल के स्वामित्व का प्रश्न केवल निर्माता द्वारा निकाली की गई बीमा पॉलिसी के संदर्भ में निर्धारित नहीं किया जा सकता है। जहां तक श्री दहीवाडे के बयान

का संबंध है, सीईएसटीएटी के अनुसार, इस तरह का बयान राजस्व को बहुत आगे नहीं ले जाएगा यदि खरीदार को कारखाने के गेट पर पारित माल में संपत्ति कानून का प्रश्न था जो इस न्यायालय के एस्कॉर्ट्स जेसीबी के मामले में उपरोक्त निर्णय द्वारा इस्पात के पक्ष में निर्धारित किया गया था । आगे यह माना गया कि आयुक्त के कम से कम दो आधार, अर्थात्, भुगतान की शर्तें सामग्री की प्राप्ति के 30 दिन बाद थीं और ऑर्डर स्वीकृति फॉर्म से पता चलता है कि खरीदार के परिसर में माल के परिवहन की व्यवस्था करना इस्पात का दायित्व था, जारी किए गए कारण बताओ नोटिस से परे थे क्योंकि यहां ऊपर उल्लेखित पांच कारण बताओ नोटिसों में से किसी में भी इस्पात के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया था।

7. राजस्व की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील श्री ए.के.पांडा ने विद्वान आयुक्त के आदेश को विस्तार से पढ़ा और कहा कि वर्तमान मामले में तथ्य एस्कॉर्ट्स जेसीबी के मामले के तथ्यों से अलग हैं, न्यायाधिकरण एस्कॉर्ट्स जेसीबी मामले पर भरोसा करने में गलती कर रहा था। विद्वान वकील के अनुसार, परिपत्र दिनांक 3.3.2003 जिसमें एस्कॉर्ट्स जेसीबी के मामले और प्रभात जर्दा कारखाना लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, 2002 (146) ईएलटी 497 (एस.सी.) दोनों का उल्लेख था, ने स्पष्ट रूप से इस अवधि के लिए निर्धारित किया था प्रश्न में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 4 में यह स्पष्ट किया गया है कि चूंकि खरीदार का स्थान वास्तव में इस्पात के माल को हटाने का स्थान था, इसलिए खरीदारों को माल बेचने से पहले किए गए माल दुलाई भुगतान केंद्रीय उत्पाद शुल्क में शामिल किया जायेगा जो मैसर्स द्वारा देय है । उन्होंने अपनी दलीलों के समर्थन में इस न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए दो फैसलों पर भरोसा किया।

8. श्री एस.के. इस्पात की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील बगरिया ने बड़ी मेहनत से इस न्यायालय को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम की धारा 4 के बारे में बताया, जो मूल रूप से आज तक किए गए सभी संशोधनों के साथ

अधिनियमित है। विद्वान् वकील के अनुसार, वर्तमान मामले में शामिल अवधि खुद को दो अवधियों में विभाजित करती है - 28.9.1996 से 30.6.2000 तक की अवधि और 1.7.2000 से 31.3.2003 तक की अवधि। विद्वान वकील के अनुसार, धारा 4 के सही निर्माण पर क्योंकि यह दोनों अवधियों में प्रासंगिक समय पर था और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 5 को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि कानून में खरीदार का परिसर कभी भी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को हटाने का स्थान नहीं हो सकता है। जहाँ तक प्रथम काल का प्रश्न है, हटाने का स्थान केवल निर्माता के डिपो या अन्य परिसर तक ही बढ़ाया जा सकता है जहां से निर्माता को अपना माल बेचना है, इससे आगे नहीं। जहां तक दूसरी अवधि का सवाल है, 1.7.2000 को लागू हुए संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 4 को पूरी तरह से प्रतिस्थापित किए जाने के बाद, यहां तक कि एक डिपो या अन्य परिसर को भी हटाने का स्थान नहीं माना जा सकता है, हटाने का एकमात्र स्थान जो है वो निर्माता का कारखाना परिसर है। ऐसा होने पर, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उन्हें पहले सिद्धांत पर सफल होना चाहिए क्योंकि सभी कारण बताओ नोटिस और आयुक्त के निष्कर्ष इस तथ्य पर आधारित हैं कि वर्तमान मामले में खरीदार का परिसर माल को हटाने का स्थान है। उन्होंने तर्क दिया कि इसमें वैचारिक भ्रम शामिल होगा क्योंकि हटाने की जगह को कभी भी डिलीवरी की जगह के साथ बराबर नहीं किया जा सकता है और अकेले हटाने की जगह अपने पूरे इतिहास में धारा 4 के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि तथ्यों पर उनका मामला एस्कोर्ट्स जेसीबी के अनुपात में आता है, न कि इस न्यायालय के दो अन्य निर्णयों, के अनुपात में अर्थात् आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुंबई-III बनाम मैसर्स एम्को लिमिटेड, दिनांकित 31 जुलाई 2015 सिविल अपील 3418 /2004 और सिविल अपील 8966/2011 के अनुपात में और सीसीई और सीमा शुल्क बनाम रूफिट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (2015) 319 ई.एल.टी. 221 (एस.सी.)। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि विद्वान आयुक्त गलती पर थे क्योंकि उन्होंने निर्धारिती द्वारा दिए गए उत्तर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था, जिससे

पता चलेगा कि निर्धारिती के तथ्य एस्कॉर्ट्स जेसीबी के साथ सममूल्य पर हैं न कि एमको या रूफिट इंडस्ट्रीज (सुप्रा) के साथ । उन्होंने यह कहते हुए न्यायाधिकरण के फैसले का समर्थन किया कि न केवल आयुक्त ने इस्पात के जवाब पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि यह उन क्षेत्रों में भी प्रवेश कर गया जो कारण बताओ नोटिस का हिस्सा नहीं थे, और इस प्रकार आयुक्त के कई निष्कर्ष न्यायाधिकरण द्वारा सही ठहराए गए वर्तमान मामले में जारी कारण बताओ नोटिस के अलावा।

9. चूंकि इस मामले में धारा 4 की सही व्याख्या शामिल है क्योंकि यह प्रासंगिक समय पर थी, इसलिए उक्त प्रावधान के इतिहास को फिर से दोहराना आवश्यक है क्योंकि यह उत्पाद शुल्क का हिस्सा होने वाले माल दुलाई शुल्क से संबंधित है।

10. धारा 4, जैसा कि यह 1973 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम में किए गए संशोधन से पहले थी, इस प्रकार प्रदान की गई है: -

"धारा 4. जहां इस अधिनियम के तहत, किसी वस्तु पर वस्तु के मूल्य पर निर्भर दर पर शुल्क लगाया जाता है, ऐसा मूल्य माना जाएगा-

(ए) थोक नकद मूल्य जिसके लिए समान प्रकार और गुणवत्ता का एक वस्तु बेची जाती है या वितरण के लिए कारखाने या निर्माण या उत्पादन के किसी अन्य परिसर से शुल्क के साथ प्रभार्य वस्तु को हटाने के समय बेचा जाने में सक्षम है विनिर्माण या उत्पादन के स्थान पर, या यदि ऐसे स्थान पर ऐसी वस्तु के लिए थोक बाजार मौजूद नहीं है, तो निकटतम स्थान पर जहां ऐसा बाजार मौजूद है, या

(बी) जहां ऐसी कीमत सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, वह कीमत जिस पर समान प्रकार और गुणवत्ता का एक वस्तु बेची जाती है या

निर्माता या उत्पादक, या उसके एजेंट द्वारा बेचे जाने में सक्षम होती है, उस वस्तु को हटाने के समय, विनिर्माण या उत्पादन के स्थान पर डिलीवरी के लिए ऐसे कारखाने या अन्य परिसर से शुल्क के साथ, या यदि ऐसी वस्तु बेची नहीं जाती है या ऐसी जगह पर बेचने में सक्षम नहीं है, तो उसके निकटतम किसी अन्य स्थान पर।

स्पष्टीकरण.-इस धारा के तहत किसी भी वस्तु की कीमत निर्धारित करने में, व्यापार छूट और कारखाने या अन्य "पूर्वोक्त परिसर" से शुल्क के साथ प्रभार्य वस्तु को हटाने के समय देय शुल्क की राशि के अलावा कोई छूट या कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11. यह देखा जाएगा कि उत्पाद शुल्क के साथ प्रभार्य किसी वस्तु का मूल्य थोक नकद मूल्य माना जाता है जिसके लिए समान प्रकार और गुणवत्ता की एक वस्तु बेची जाती है या निर्माण या उत्पादन के परिसर में बिकने में सक्षम होती है। ए.के. रॉय बनाम वोल्टास लिमिटेड, (1973) 3 एससीसी 503, इस न्यायालय के पास उक्त प्रावधान से निपटने का अवसर था और उसके अनुच्छेद 22 में कहा गया है: -

इस धारा में कहा गया है कि थोक मूल्य नकद भुगतान के आधार पर लिया जाना चाहिए, जिससे थोक मूल्य में शामिल ब्याज खत्म हो जाएगा, जो थोक खरीदार को एक निश्चित अवधि के लिए क्रेडिट देता है और कारखाने के गेट पर डिलीवरी के लिए कीमत तय की जानी चाहिए जिससे वस्तुओं के परिवहन में शामिल माल दुलाई, चुंगी और अन्य शुल्क समाप्त हो जाएं।" [अनुच्छेद 22 पर]

12. 1973 के एक संशोधन अधिनियम द्वारा, जो 1.10.1975 को लागू हुआ, धारा 4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया: -

"धारा 4. उत्पाद शुल्क के प्रभार्य के प्रयोजनों के लिए उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का मूल्यांकन - (1) जहां इस अधिनियम के तहत,

मूल्य के संदर्भ में किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य माल पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, ऐसा मूल्य, इस धारा के अन्य प्रावधान के अधीन होगा , माने जायेंगे -

(ए) उसकी सामान्य कीमत, यानी वह कीमत जिस पर करदाता द्वारा सामान को थोक व्यापार के दौरान डिलीवरी के समय और स्थान पर डिलीवरी के लिए खरीदार को बेचा जाता है, जहां खरीदार नहीं होता है संबंधित व्यक्ति और कीमत बिक्री के लिए एकमात्र विचारणीय है:

बशर्ते

(i) जहां, ऐसे सामानों के थोक व्यापार की सामान्य प्रथा के अनुसार, ऐसे सामान निर्धारिती द्वारा अलग-अलग कीमतों पर खरीदारों के विभिन्न वर्गों (संबंधित व्यक्ति नहीं) को बेचे जाते हैं, ऐसी प्रत्येक कीमत, खंड (ए) में निर्दिष्ट अन्य परिस्थितियों के अस्तित्व के अधीन होगी, खरीदारों के ऐसे प्रत्येक वर्ग के संबंध में ऐसे सामान की सामान्य कीमत माना जाएगा;

(ii) जहां ऐसे सामान थोक व्यापार के दौरान निर्धारिती द्वारा डिलीवरी के समय और हटाने के स्थान पर किसी भी समय लागू कानून के तहत तय कीमत पर या अधिकतम निर्धारित कीमत पर बेचे जाते हैं ऐसे किसी भी कानून के तहत, तो इस परंतुक के खंड (iii) में किसी भी बात के बावजूद, कीमत या अधिकतम कीमत, जैसा भी मामला हो, इस प्रकार तय, बेची गई वस्तुओं के संबंध में उसकी सामान्य कीमत मानी जाएगी;

(iii) जहां निर्धारिती ऐसी व्यवस्था करता है कि थोक व्यापार के दौरान सामान आम तौर पर संबंधित व्यक्ति को छोड़कर या उसके

माध्यम से नहीं बेचा जाता है, तो निर्धारिती द्वारा ऐसे संबंधित व्यक्ति को या उसके माध्यम से बेचे गए सामान की सामान्य कीमत मानी जाएगी वह मूल्य जिस पर वे थोक व्यापार के दौरान संबंधित व्यक्ति द्वारा सामान्यतः हटाए जाने के समय, डीलरों (संबंधित व्यक्ति नहीं) को बेचे जाते हैं या जहां ऐसे सामान ऐसे डीलरों को नहीं बेचे जाते हैं, वहां डीलरों (संबंधित व्यक्ति) को बेचे जाते हैं, जो खुदरा में ऐसा सामान बेचते हैं;

(बी) जहां ऐसे सामान की सामान्य कीमत इस कारण से सुनिश्चित नहीं की जा सकती है कि ऐसा सामान बेचा नहीं गया है या किसी अन्य कारण से, उसके निकटतम सुनिश्चित करने योग्य समकक्ष को ऐसे तरीके से निर्धारित किया जा सकता है जो नियत किया जा सकता है।

(2) जहां, किसी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु के संबंध में हटाने के स्थान पर डिलीवरी के लिए उसकी कीमत ज्ञात नहीं है और उसका मूल्य हटाने के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर डिलीवरी के लिए कीमत के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है, वहां की लागत हटाने के स्थान से वितरण के स्थान तक परिवहन को ऐसी कीमत से बाहर रखा जाएगा।

(3) इस धारा के प्रावधान किसी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु के संबंध में लागू नहीं होंगे जिसके लिए धारा 3 की उपधारा (2) के तहत टैरिफ मूल्य तय किया गया है।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, -

(ए) "निर्धारिती" का अर्थ वह व्यक्ति है जो इस अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और इसमें उसका एजेंट भी शामिल है;

(बी) "हटाने का स्थान" का अर्थ है -

(i) उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के उत्पादन या निर्माण का कोई कारखाना या कोई अन्य स्थान या परिसर; या

(ii) एक गोदाम या कोई अन्य स्थान या परिसर जहां उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को शुल्क के भुगतान के बिना जमा करने की अनुमति दी गई है,

जहां से ऐसे सामान हटाये जाते हैं।"

13. यह देखा जाएगा कि जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, संशोधित धारा 4 में तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। सबसे पहले, उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का मूल्य "उसकी सामान्य कीमत" माना जाता है, कि वह कीमत है जिस पर थोक व्यापार के दौरान निर्धारती द्वारा ऐसे सामान आमतौर पर खरीदार को बेचे जाते हैं। जहां सामान अलग-अलग कीमतों पर अलग-अलग खरीददारों के वर्ग को बेचे जाते थे, ऐसी प्रत्येक कीमत को सामान्य कीमत माना जाएगा। "हटाने का स्थान" को पहली बार परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ न केवल उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के उत्पादन या निर्माण का परिसर है, बल्कि एक गोदाम या कोई अन्य स्थान या परिसर जहां ऐसे सामान को शुल्क के भुगतान के बिना जमा करने की अनुमति दी गई है और जहां से ऐसे सामान को अंततः हटा दिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि धारा 4(2) में, जो पहली बार पेश की गई है, जहां उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के संबंध में उसकी कीमत तय की गई है हटाने के स्थान पर डिलीवरी ज्ञात नहीं है, और मूल्य हटाने के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर डिलीवरी की कीमत के संदर्भ में

निर्धारित किया जाता है, हटाने के स्थान से डिलीवरी के स्थान तक परिवहन की लागत वैधानिक रूप से शामिल नहीं की है। जैसा कि कानून इस प्रकार था, इस न्यायालय ने भारत संघ बनाम बॉम्बे टायर इंटरनेशनल लिमिटेड, (1984) 1 एससीसी 467 में, संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा प्रतिस्थापित धारा 4 को निकालने के बाद, ठहराया:-

"जहां उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु या समान प्रकार और गुणवत्ता की कोई वस्तु थोक व्यापार में हटाने के स्थान पर, यानी कारखाना गेट पर नहीं बेची जाती है, बल्कि थोक व्यापार में कारखाना गेट के बाहर किसी स्थान पर बेची जाती है, मूल्य उस कीमत के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए जिस पर उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु ऐसे स्थान पर थोक व्यापार में बेची जाती है, उसमें से कारखाने के गेट से ऐसे स्थान तक उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु के परिवहन की लागत घटाने के बाद। अन्य कटौतियों के दावे पर बाद में। विचार किया जाएगा।"

[अनुच्छेद 27 पर]

न्यायालय ने आगे कहा:

"जहां थोक व्यापार के दौरान बिक्री निर्धारिती द्वारा अपने बिक्री संगठन के माध्यम से कारखाने के गेट के बाहर किसी स्थान या स्थानों पर की जाती है, उपरोक्त शीर्षों के तहत डिलीवरी की तारीख तक निर्धारिती द्वारा किए गए खर्च, उसी आधार पर कटौती नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन निर्धारिती उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु को कारखाना गेट से उस स्थान या स्थानों तक जहां इसे बेचा जाता है, परिवहन की लागत के कारण कटौती का हकदार होगा। परिवहन की लागत में बीमा की लागत शामिल होगी माल के परिवहन के लिए

फ़ैक्टरी गेट से स्थान या डिलीवरी के स्थान तक ।" [अनुच्छेद 50 पर]

14. कानून का यह दृष्टिकोण भारत सरकार बनाम मद्रास रबर कारखाना लिमिटेड, (1995) 4 एससीसी 349 में दोहराया गया था। दिलचस्प बात यह है कि फ़ैसले के अनुच्छेद 39 में, कारखाना गेट से हटाने के स्थान तक परिवहन की लागत शामिल नहीं है। उत्पाद शुल्क का हिस्सा राजस्व द्वारा स्वीकार किया गया था।

15. 1973 संशोधन अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित धारा 4 को 1996 में एक और संशोधन का सामना करना पड़ा। संशोधन का क्रियान्वन 28.9.1996 से प्रभावी होना था, जो वर्तमान मामले में तथ्यों पर प्रारंभिक बिंदु भी है। धारा 4 में तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। सबसे पहले धारा 4(1) में एक नई उप-धारा (आईए) जोड़ी गई जो इस प्रकार है:-

"(आईए) जहां निर्धारिती द्वारा आम तौर पर जिस कीमत पर ऐसे सामान बेचे जाते हैं, वह हटाने के विभिन्न स्थानों के लिए अलग-अलग है, ऐसी प्रत्येक कीमत, खंड (ए) में निर्दिष्ट अन्य परिस्थितियों के अस्तित्व के अधीन, हटाने के प्रत्येक ऐसे स्थान के संबंध में ऐसे माल की सामान्य कीमत मानी जाएगी;"

साथ ही, पहली बार "हटाने की जगह" में एक और श्रेणी जोड़ी गई। धारा 4(4)(बी)(iii) और 4(4)(बीए) इस प्रकार बताती है:-

"(4)(बी)(iii) एक डिपो, कंसाइनमेंट एजेंट का परिसर या कोई अन्य स्थान या परिसर जहां से कारखाना से निकासी के बाद उत्पाद शुल्क योग्य सामान बेचा जाना है और,

"(4) (बीए) "हटाने का समय", खंड (बी) के उप-खंड (iii) में निर्दिष्ट हटाने के स्थान से हटाए गए माल के संबंध में, वह समय माना जाएगा जिस पर फ़ैक्टरी से ऐसे सामान साफ़ कर दिया गया है;"

16. इस प्रकार यह देखा जाएगा कि जहां निर्धारिती द्वारा आम तौर पर जिस कीमत पर सामान बेचा जाता है, वह हटाने के अलग-अलग स्थानों के लिए अलग-अलग है, तो ऐसी प्रत्येक कीमत को उसका सामान्य मूल्य माना जाएगा। उप-खंड (बी) (iii) बहुत महत्वपूर्ण है और यह स्पष्ट करता है कि एक डिपो, एक कंसाइनमेंट एजेंट का परिसर, या कोई अन्य स्थान या परिसर जहां से कारखाने से मंजूरी के बाद उत्पाद शुल्क योग्य सामान बेचा जाना है। हटाने के सभी स्थान हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इनमें से प्रत्येक परिसर केवल निर्माता के लिए संदर्भित है, न कि उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के खरीदार के लिए। डिपो, या निर्माता के कंसाइनमेंट एजेंट का परिसर स्पष्ट रूप से ऐसे स्थान हैं जो केवल निर्माता के लिए संदर्भित हैं। यहां तक कि अभिव्यक्ति "कोई अन्य स्थान या परिसर" केवल निर्माता के स्थान या परिसर को संदर्भित करता है क्योंकि ऐसे स्थान या परिसर उसको कहा जाता है जहां उत्पाद शुल्क योग्य सामान "बेचा जाना है"। ये उप-धारा के मुख्य शब्द हैं। वह स्थान या परिसर जहां से उत्पाद शुल्क योग्य सामान बेचा जाता है केवल निर्माता का परिसर हो सकता है या निर्माता को संदर्भित परिसर हो सकता है। यदि हमें राजस्व के तर्क को स्वीकार करना है, तो इन शब्दों को "बेचा गया है" शब्दों से प्रतिस्थापित करना होगा जो तब संभवतः संदर्भ होगा क्रेता का परिसर।

17. इसलिए, यह स्पष्ट है कि 28.9.1996 के संशोधन अधिनियम से प्रभावी कानून के मामले में, हटाने का स्थान केवल उन स्थानों के संदर्भ में है जहां से निर्माता को उसके द्वारा निर्मित सामान बेचना है, और, किसी भी परिस्थिति में, डिलीवरी की जगह का संदर्भ नहीं है, जो तथ्यों के आधार पर, खरीदार का परिसर हो सकता है।

18. 1.7.2000 को लागू हुए एक संशोधन अधिनियम द्वारा, धारा 4 को फिर से इस प्रकार प्रतिस्थापित किया गया: -

"धारा 4. उत्पाद शुल्क वसूलने के प्रयोजनों के लिए उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का मूल्यांकन - (1) जहां इस अधिनियम के तहत, उत्पाद शुल्क वस्तु मूल्य के संदर्भ में किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर लगाया जाता है, तो, माल के प्रत्येक निष्कासन पर, ऐसा मूल्य होगा-

(ए) ऐसे मामले में जहां सामान हटाने के समय और स्थान पर डिलीवरी के लिए निर्धारिती द्वारा बेचा जाता है, निर्धारिती और सामान का खरीदार संबंधित नहीं हैं और कीमत बिक्री के लिए एकमात्र प्रतिफल है, द्वारा लेन-देन मूल्य;

(बी) किसी भी अन्य मामले में, जिसमें वह मामला भी शामिल है जहां माल बेचा नहीं जाता है, मूल्य निर्धारित तरीके से नियत किया जाएगा।

(2) इस धारा के प्रावधान किसी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु के संबंध में लागू नहीं होंगे जिसके लिए धारा 3 की उपधारा (2) के तहत टैरिफ मूल्य तय किया गया है।

3) इस अनुभाग के प्रयोजन के लिए, -

(ए) "निर्धारिती" का अर्थ वह व्यक्ति है जो इस अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और इसमें उसका एजेंट भी शामिल है;

(बी) व्यक्ति को "संबंधित" माना जाएगा यदि -

- (i) वे परस्पर जुड़े हुए उपक्रम हैं;
- (ii) वे रिश्तेदार हैं;
- (iii) उनमें से क्रेता निर्धारिती के रिश्तेदार है और वितरक है, या ऐसे वितरक का उप-वितरक है; या
- (iv) वे इतने जुड़े हुए हैं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक-दूसरे के व्यवसाय में उनकी रुचि है।

स्पष्टीकरण। -इस धारा में-

(i) "अंतर-संबंधित उपक्रम" का वही अर्थ होगा जो एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 64) की धारा 2 के खंड (जी) में दिया गया है; और

(ii) "रिश्तेदार" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 2 के खंड (41) में दिया गया है;

(सी) "हटाने का स्थान" का अर्थ है -

(i) उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के उत्पादन या निर्माण का कोई कारखाना या कोई अन्य स्थान या परिसर;

(ii) एक गोदाम या कोई अन्य स्थान या परिसर जहां उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को शुल्क के भुगतान के बिना जमा करने की अनुमति दी गई है, जहां से ऐसे सामान हटा दिए जाते हैं;

(डी) "लेन-देन मूल्य" का मतलब है कि बेचे जाने पर माल के लिए वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत, और कीमत के रूप में ली गई राशि के अलावा, कोई भी राशि जो खरीदार या निर्धारिती की ओर से, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है , बिक्री के कारण या उसके

संबंध में, चाहे वह बिक्री के समय या किसी अन्य समय देय हो, जिसमें ली गई कोई भी राशि शामिल है, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है, कोई राशि जो वसूली गई हो विज्ञापन या प्रचार के लिए, या प्रावधान करने के लिए, एक विपणन और बिक्री संगठन के खर्च, भंडारण, बाहरी हैंडलिंग, सर्विसिंग, वारंटी, कमीशन या कोई अन्य मामला; लेकिन इसमें ऐसी वस्तुओं पर वास्तव में भुगतान की गई या वास्तव में देय उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और अन्य करों की राशि, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।"

19. प्रतिस्थापित प्रावधान को सरसरी तौर पर पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि "सामान्य मूल्य" की अवधारणा ने "लेनदेन मूल्य" की अवधारणा को रास्ता दे दिया है। इस प्रकार, उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए अब कोई मानक मूल्य नहीं है। माल के प्रत्येक निष्कासन पर भुगतान की जाने वाली या देय वास्तविक कीमत लेनदेन मूल्य बन जाती है। दिलचस्प बात यह है कि, यह देखा जाएगा कि धारा 4(3)(सी) के तहत, हटाने की जगह को परिभाषित किया गया है जैसा कि 1996 में इसके आगे के संशोधन से पहले प्रतिस्थापित धारा 4 (1973 संशोधन द्वारा) में परिभाषित किया गया था। जो स्पष्ट है वर्तमान धारा में इसकी अनुपस्थिति पिछली धारा 4 (1996 में इसके संशोधन के बाद) में धारा 4(2) और उप-धारा (बी) (iii) है। इसलिए यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में विचाराधीन दूसरी अवधि के लिए, अर्थात् 1.7.2000 से 31.3.2003 तक, डिपो, कंसाइनमेंट एजेंट का परिसर या कोई अन्य स्थान जहां से उत्पाद शुल्क योग्य सामान बेचा जाना है फ़ैक्टरी निकासी के बाद अब हटाने की जगह नहीं है। साथ ही, "लेन-देन मूल्य" की परिभाषा यह स्पष्ट करती है कि देय उत्पाद शुल्क की गणना में माल ढुलाई या परिवहन व्यय शामिल नहीं हैं।

20. केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की कीमत का निर्धारण) नियम, 2000 के नियम 5 और 7 का उल्लेख करना भी आवश्यक है, जो धारा 4 में संशोधन के साथ ही 1.7.2000 को लागू हुए थे। ये नियम इस प्रकार हैं:-

"नियम 5.

जहां कोई भी उत्पाद शुल्क योग्य सामान अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ए) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में बेचा जाता है, सिवाय उन परिस्थितियों के जिसमें उत्पाद शुल्क योग्य सामान किसी अन्य स्थान पर डिलीवरी के लिए बेचा जाता है हटाने के स्थान की तुलना में, तो ऐसे उत्पाद शुल्क योग्य माल का मूल्य लेनदेन मूल्य माना जाएगा, हटाने के स्थान से ऐसे उत्पाद शुल्क योग्य माल की डिलीवरी के स्थान तक परिवहन की वास्तविक लागत को छोड़कर, बशर्ते परिवहन की लागत ली जाए खरीदार से माल की कीमत के अतिरिक्त और ऐसे उत्पाद शुल्क योग्य माल के लिए चालान में अलग से दिखाया गया है।

नियम 7.

जहां उत्पाद शुल्क योग्य सामान हटाने के समय और स्थान पर निर्धारिती द्वारा नहीं बेचा जाता है, बल्कि किसी डिपो, कंसाइनमेंट एजेंट के परिसर या किसी अन्य स्थान या परिसर (इसके बाद "एसे अन्य स्थान" के रूप में संदर्भित) में स्थानांतरित किया जाता है, जहां से उत्पाद शुल्क योग्य होता है। सामान को हटाने के स्थान से उनकी निकासी के बाद बेचा जाना है और जहां निर्धारिती और उक्त सामान के खरीदार संबंधित नहीं हैं और कीमत बिक्री के लिए एकमात्र प्रतिफल है, तो मूल्य ऐसे बेचे गए सामान का सामान्य लेनदेन मूल्य

होगा ऐसे किसी अन्य स्थान से उसी समय या उसके आसपास और, जहां ऐसा माल उसी समय या उसके आसपास नहीं बेचा जाता है, मूल्यांकन के तहत माल को हटाने के समय के निकटतम समय पर।"

21. उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को हटाने के स्थान से डिलीवरी के स्थान तक परिवहन की वास्तविक लागत को उत्पाद शुल्क की गणना से बाहर रखा गया है, बशर्ते कि यह माल की कीमत के अतिरिक्त ऐसे सामान के लिए खरीदार से वसूला जाए और चालान में अलग से दिखाया जाए। दिलचस्प बात यह है कि प्रतिस्थापित धारा 4 में डिपो या अन्य परिसर को हटाने की जगह के रूप में प्रावधान नहीं होने के बावजूद, नियम 7 डिपो या अन्य परिसर में स्थानांतरित किए गए माल के सामान्य लेनदेन मूल्य से संबंधित है, जिसे उसी समय या उसके आसपास कहा जाता है या मूल्यांकन के तहत माल को हटाने के समय के निकटतम समय।

22. तस्वीर को पूरा करने के लिए, 14.5.2003 से प्रभावी एक संशोधन अधिनियम द्वारा, धारा 4 को फिर से संशोधित किया गया ताकि पुरानी धारा 4(3)(बी) (2000 से पहले) के उप-खंड (iii) को धारा 4(3)(सी)(iii) के रूप में फिर से शामिल किया जाए। यह संशोधन इस प्रकार है:-

"(3)(सी)(iii) एक डिपो, कंसाइनमेंट एजेंट का परिसर या कोई अन्य स्थान या परिसर जहां से कारखाने से निकासी के बाद उत्पाद शुल्क योग्य सामान बेचा जाना है;"

साथ ही, 1.3.2003 से केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 5 को इस प्रकार पढ़ने के लिए प्रतिस्थापित किया गया था:

"नियम 5. जहां किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य सामान को अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ए) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में बेचा जाता है, उन परिस्थितियों को छोड़कर जिनमें उत्पाद शुल्क

योग्य सामान हटाने का स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर डिलीवरी के लिए बेचा जाता है , तो ऐसे उत्पाद शुल्क योग्य माल का मूल्य लेनदेन मूल्य माना जाएगा, जिसमें हटाने के स्थान से ऐसे उत्पाद शुल्क योग्य माल की डिलीवरी के स्थान तक परिवहन की लागत शामिल नहीं होगी।

स्पष्टीकरण 1- "परिवहन की लागत" में शामिल हैं -

(i) परिवहन की वास्तविक लागत; और

(ii) ऐसे मामले में जहां माल ढुलाई औसत है, परिवहन की लागत की गणना लागत के आम तौर पर स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार की जाती है।

स्पष्टीकरण 2- शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कारखाने से हटाने के स्थान तक परिवहन की लागत, जहां कारखाना हटाने का स्थान नहीं है, उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का मूल्य को निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए बाहर नहीं रखा जाएगा।"

23. अतः यह स्पष्ट है कि 14.5.2003 को तथा उसके बाद 28.9.1996 से 1.7.2000 तक प्राप्त स्थिति अब पुनः बहाल कर दी गई है। 2003 में प्रतिस्थापित नियम 5 भी इस स्थिति की पुष्टि करता है कि हटाने की जगह से डिलीवरी की जगह तक परिवहन की लागत को छोड़कर, सिवाय उस मामले में, जहां कारखाना हटाने की जगह नहीं है, को बाहर रखा जाना चाहिए।

24. इस प्रकार यह देखा जाएगा कि, कानून में, यह स्पष्ट है कि 28.9.1996 से 1.7.2000 तक की अवधि के लिए, हटाने के स्थान का संदर्भ केवल उन स्थानों से है जहां से निर्माता द्वारा सामान बेचा जाना है, और डिलीवरी की जगह का कोई संदर्भ नहीं

है जो या तो खरीदार का परिसर या ऐसा कोई अन्य परिसर के रूप में हो सकता है जहां खरीदार निर्माता को अपना माल भेजने का निर्देश दे सकता है। इसलिए कानून के मामले में आयुक्त का आदेश और उस आदेश के आधार पर राजस्व का तर्क कि माल ढुलाई शुल्क को शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि वर्तमान तथ्यों में बिक्री खरीदार के परिसर में हुई थी, गलत है। इसके अलावा, अवधि 1.7.2000 से 31.3.2003 के लिए हटाने का कोई विस्तारित स्थान नहीं होगा, कारखाना परिसर या गोदाम (अनुभाग में उल्लेखित परिस्थितियों में), केवल हटाने के स्थान होंगे। इसलिए, किसी भी परिस्थिति में खरीदार का परिसर वर्तमान मामले के तथ्यों पर धारा 4 के प्रयोजन के लिए हटाने का स्थान नहीं हो सकता है।

25. अब बार में उद्धृत कुछ निर्णयों से निपटना बाकी है। एस्कॉर्ट्स जेसीबी लिमिटेड बनाम सीसीई, (2003) 1 एससीसी 281, श्री बागरिया द्वारा दृढ़ता से भरोसा किया गया था और श्री पांडा द्वारा विशिष्ट होने की मांग की गई थी। एस्कॉर्ट्स जेसीबी के मामले के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों के समान हैं। उस मामले में कारण बताओ नोटिस में आरोप लगाया गया था कि खरीदारों से माल ढुलाई और पारगमन बीमा लिया गया था, लेकिन हटाने की जगह को खरीदार के परिसर के बजाय कारखाना गेट के रूप में गलत घोषित करके कोई केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था। यह ध्यान दिया जाएगा कि वर्तमान मामले की तरह ही, कीमत "पूर्व-कार्य" थी और माल ढुलाई बीमा आदि को छोड़कर थी। धारा 4 को 1996 में संशोधन से निर्धारित करने के बाद , इस न्यायालय ने कहा:-

"अधिकारियों और सीईजीएटी द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन से पता चलता है कि चूंकि पारगमन बीमा की व्यवस्था निर्धारिती द्वारा की गई थी, इसलिए यह अनुमान लगाया गया और माना गया कि सामान का स्वामित्व तब तक निर्धारिती द्वारा बरकरार रखा गया था जब तक कि इसे खरीदार को वितरित नहीं किया गया था इस तर्क

पर कि अन्यथा विक्रेता, अर्थात् निर्धारिती के लिए किसी भी प्रकार की माल की क्षति का जोखिम लेने का कोई अवसर नहीं होगा परिवहन के दौरान । हमारे लिए, संपूर्ण तर्क अस्थिर प्रतीत होता है। दो पहलुओं को मिला दिया गया है - एक माल की बिक्री के लेनदेन से संबंधित है और दूसरा खरीदार के लिए पारगमन बीमा की व्यवस्था करना और इस उद्देश्य के लिए खर्च की गई राशि उससे अलग से वसूलना है।" [अनुच्छेद 8 पर]

"उपरोक्त परिच्छेद से यह स्पष्ट है कि जहां तक पारगमन के दौरान बेची गई वस्तुओं के बीमा का संबंध है, संपत्ति में स्वामित्व की कोई प्रासंगिकता नहीं हो सकती है। इसलिए विक्रेता द्वारा बेची गई संपत्ति में स्वामित्व बनाए रखने का निष्कर्ष निकालना वैध नहीं होगा। केवल इस तथ्य के कारण कि विक्रेता ने खरीदार के पारगमन के दौरान ऐसे सामान का बीमा किया था। यह आवश्यक नहीं है कि सामान का बीमा और बीमाकृत संपत्ति का स्वामित्व हमेशा एक साथ हो। यह विभिन्न तथ्यों और परिस्थितियों ,एक विशेष लेन-देन और बिक्री के नियम और शर्तों पर निर्भर हो सकता है। रॉबर्ट मर्किन द्वारा कॉलिन्वॉज के बीमा के कानून, 6 वें संस्करण का एक संदर्भ भी दिया गया है ताकि यह संकेत दिया जा सके कि दूसरों के हितों को कवर करने के लिए बीमा हो सकता है, यानी जरूरी नहीं कि बीमा हो। ब्याज का बीमा करने वाला व्यक्ति संपत्ति का मालिक होना चाहिए।"

[अनुच्छेद 10 पर]

26. इसके बाद इस न्यायालय ने बॉम्बे टायर इंटरनेशनल के मामले का अनुसरण किया और अंततः यह निर्णय दिया:-

"उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हमारे विचार में केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त और सीईजीएटी ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की कि संपत्ति में स्वामित्व निर्धारिती द्वारा तब तक बरकरार रखा जाएगा जब तक कि इसे खरीदार को इस कारण से वितरित नहीं किया गया कि निर्धारिती परिवहन और पारगमन बीमा की व्यवस्था की थी। ऐसा निष्कर्ष टिकाऊ नहीं है।" [अनुच्छेद 12 पर]

27. हमारा मानना है कि न्यायाधिकरण वर्तमान में तथ्यों पर इस फैसले पर भरोसा करने में सही था वर्तमान मामले में और परिपत्र दिनांक 3.3.2003, जिसमें विशेष रूप से कहा गया है, उक्त निर्णय के बाद, कि पारगमन के दौरान माल का बीमा संभवतः स्वामित्व या माल की बिक्री के बिंदु को तय करने के लिए एकमात्र प्रतिफल नहीं हो सकता है।

28. इसी प्रकार वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त , (2003) 5 एससीसी 507 में, इस न्यायालय को निम्नलिखित प्रश्न का सामना करना पड़ा: -

"इन दोनों अपीलों में विचार करने योग्य प्रश्न यह है कि क्या ऐसे मामलों में जहां कोई निर्माता माल की कीमत में कारखाने से डिपो तक परिवहन समान भाड़ा शामिल करता है और पूरे देश में एक ही कीमत पर माल बेचता है, विभाग लागत को शामिल करके मूल्य की गणना करने का हकदार है। यह प्रश्न इस न्यायालय द्वारा भारत संघ बनाम बॉम्बे टायर इंटरनेशनल लिमिटेड के मामले में तय किया गया था [(1984) 1 एससीसी 467: 1984 एससीसी (टैक्स) 17: 1983 ईएलटी 1896] इसके बाद भारत सरकार बनाम मद्रास रबर कारखाना

लिमिटेड के मामले में इसकी पुष्टि की गई। [(1995) 4 एससीसी 349: (1995) 77 ईएलटी 433]" [अनुच्छेद 3 पर]

29. एस्कॉर्ट्स जेसीबी के मामले की तरह यह निर्णय भी धारा 4 से संबंधित था क्योंकि यह 1996 के संशोधन के बाद लेकिन 2000 के संशोधन से पहले था। इस न्यायालय ने कहा: -

"संशोधन के बाद, विभाग ने कारखाने से डिपो तक परिवहन की लागत को मूल्य में शामिल करने की मांग की, यहां तक कि उस मामले में भी जहां निर्माता ने समान माल दुलाई के तत्व को शामिल करके पूरे देश में एक समान कीमत पर सामान बेचा। न्यायाधिकरण इस तर्क पर विभाग के दृष्टिकोण को बरकरार रखा है कि इस संशोधन द्वारा "हटाने की जगह" शब्द की परिभाषा को डिपो को शामिल करने के लिए बढ़ा दिया गया है। न्यायाधिकरण ने यह भी माना है कि धारा 4(2) जिसमें परिवहन की लागत को शामिल नहीं किया गया है हटाने की जगह से डिलीवरी की जगह को संशोधित नहीं किया जब "हटाने की जगह" शब्द की परिभाषा का विस्तार किया गया था। न्यायाधिकरण के अनुसार परिणाम यह हुआ कि केवल हटाने के स्थान से वितरण के स्थान तक परिवहन शुल्क को मूल्य से बाहर रखा जाना था।

हमने पक्षों को विस्तार से सुना है। हमारे विचार में, धारा 4 को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। धारा 4(1)(ए) के तहत, सामान्य कीमत वह कीमत है जिस पर सामान आमतौर पर करदाता द्वारा थोक व्यापार के दौरान खरीदार को डिलीवरी के समय और हटाने के स्थान पर बेचा जाता है, जहां खरीदार नहीं होता है एक संबंधित व्यक्ति और

कीमत बिक्री के लिए एकमात्र प्रतिफल है। इसलिए, सामान्य कीमत "डिलीवरी के समय" और "हटाने की जगह पर" कीमत है। संशोधन से पहले, हटाने का स्थान केवल कारखाना या कोई अन्य स्थान या परिसर था जहां उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण किया जाता था या एक गोदाम या कोई अन्य स्थान या परिसर जहां किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य सामान को शुल्क के भुगतान के बिना जमा करने की अनुमति दी गई है। इस प्रकार, कीमत उस स्थान पर कीमत होगी। संशोधन द्वारा धारा 4(1)(ए) में परन्तुक (आई-ए) जोड़ा गया है। धारा 4(1)(ए)(आईए-ए) के तहत जहां सामान की कीमत हटाने के विभिन्न स्थानों के लिए अलग-अलग है, ऐसी प्रत्येक कीमत को "हटाने के ऐसे स्थान" के संबंध में ऐसे सामान की सामान्य कीमत माना जाता था। इस प्रकार, यदि हटाने का स्थान कारखाना था, तो कीमत कारखाने में सामान्य कीमत होगी। यदि हटाने का स्थान कोई अन्य स्थान जैसे डिपो या कंसाइनमेंट एजेंट का परिसर था और कीमत अलग थी तो वह अलग कीमत ही कीमत होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि धारा 4(1)(ए) में नया जोड़ा गया प्रावधान (आईए) अब हटाने के विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग कीमतों का प्रावधान कर रहा था, इसलिए "हटाने की जगह" शब्द की परिभाषा को बड़ा करना पड़ा। इस प्रकार संशोधन इस न्यायालय के निर्णयों को नकारात्मक नहीं कर रहा था। यदि यही इरादा होता तो यह विशेष रूप से प्रदान किया गया होता कि जहां पूरे देश में कीमत समान/एकसमान हो, वहां भी परिवहन की लागत जोड़ी जानी थी।

इस प्रकार ऐसे मामलों में जहां कीमत पूरे देश में एक समान या स्थिर रहती है, यह उत्पाद शुल्क परिवर्तन के उद्देश्य से उस मूल्य का

पालन नहीं करती है, केवल इसलिए कि "हटाने की जगह" शब्द की परिभाषा का विस्तार किया गया है। सामान्य कीमत डिलीवरी के समय और निष्कासन के स्थान पर कीमत ही रहती है। समान भाड़े के मामलों में यह ऊपर दिए गए इस न्यायालय के निर्णयों के अनुसार ही रहेगा।

हमारे विचार में, संशोधनों से इस न्यायालय द्वारा तय की गई पिछली स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा है। मामले के इस दृष्टिकोण में, हम न्यायाधिकरण के निर्णयों को बरकरार रखने में असमर्थ हैं। तदनुसार उन्हें रद्द किया जाता है। परिणामी राहत के साथ अपीलें स्वीकार की जाती हैं। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।" [अनुच्छेद 5 से 8]।

30. प्रभात जर्दा कारखाना लिमिटेड बनाम सीसीई, 2002 (146) ई.एल.टी. में। 497 (एस.सी.), में इस न्यायालय ने कहा:-

"इन मामलों में, सवाल यह है कि क्या माल ढुलाई और बीमा शुल्क को उत्पाद शुल्क के प्रयोजनों के लिए मूल्यांकन योग्य मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए। यह प्रश्न एस्कॉर्ट्स जेसीबी लिमिटेड बनाम कमिश्नर सेंट्रल उत्पाद शुल्क, दिल्ली-// 2002 (146) ई.एल.टी. 31 (एस.सी.) के मामले में इस न्यायालय के फैसले में शामिल है। एकमात्र अंतर जो बताया गया है वह यह है कि एस्कॉर्ट्स मामले (सुप्रा) में बिक्री कारखाना गेट पर थी, जबकि इन मामलों में, बिक्री डिपो से होती है। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील स्वीकार करते हैं कि डिपो तक माल ढुलाई और बीमा शुल्क उत्पाद शुल्क के प्रयोजनों के लिए मूल्यांकन योग्य मूल्य में शामिल होगा। हालांकि, डिपो में होने

वाली बिक्री, ग्राहकों को डिलीवरी के लिए माल ढुलाई और बीमा उक्त निर्णय के अनुसार डिपो से इतना शामिल नहीं किया जाएगा।"

इसलिए, यह निर्णय यह भी मानता है कि डिपो बिक्री में भी, ग्राहकों को डिपो से उनके परिसर तक डिलीवरी के लिए माल ढुलाई और बीमा को संभवतः शामिल नहीं किया जा सकता है, और एस्कॉर्ट्स जेसीबी मामले के सुप्रा का पालन किया गया है।

31. इसके साथ हम इस न्यायालय के दो हालिया निर्णयों पर आते हैं। सीसीई और सीमा शुल्क बनाम रूफिट इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, (2015) 319 ई.एल.टी. 221 (एस.सी.), इस न्यायालय ने एस्कॉर्ट्स जेसीबी के मामले को अलग करने के बाद कहा:-

"इस प्रकार, कानून का सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है। यह देखा जाना चाहिए कि बिक्री किस समय की जाती है, चाहे वह कारखाना गेट पर हो या बाद के समय पर यानी डिलीवरी के समय माल का मूल्य खरीदार को उसके परिसर में प्रभावित किया जाता है। इस पहलू को माल की बिक्री अधिनियम के प्रावधानों के प्रकाश में प्रत्येक मामले के तथ्यों पर लागू करके देखा जाना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि माल में स्वामित्व कब विक्रेता से खरीदार को हस्तांतरित किया जाता है। जो शुल्क जोड़े जाने हैं, वे उस स्वामित्व के हस्तांतरण के चरण तक लगाए गए हैं, जैसे कि एक बार माल में स्वामित्व खरीदार को हस्तांतरित हो जाता है, उसके बाद होने वाला कोई भी खर्च खरीदार के खाते में होगा और वह घटक नहीं हो सकता है जिसे खरीदार द्वारा निर्मित वस्तुओं के मूल्यांकन का पता लगाते समय शामिल किया जाएगा। यह स्पष्ट अर्थ है जिसे मूल्यांकन नियमों के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 4 में निर्दिष्ट किया जाना है।

वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि प्रतिवादी निर्धारिती को दिए गए अधिकांश आदेश विभिन्न सरकारी अधिकारियों द्वारा थे। ऐसा ही एक आदेश यानी केरल जल प्राधिकरण द्वारा दिया गया दिनांक 24-6-1996 का आदेश रिकॉर्ड में है। उक्त आदेश के नियमों और शर्तों को पढ़ने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि सामान खरीदार के स्थान पर वितरित किया जाना था और यह केवल उसी स्थान पर है जहां आपूर्ति की स्वीकृति प्रभावी होनी थी। माल की कीमत में सामग्री की लागत, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लोडिंग, परिवहन, पारगमन जोखिम और उतराई शुल्क आदि शामिल थे। यहां तक कि निर्धारिती खाते पर पारगमन क्षति/टूटना भी शामिल था, जिसका स्पष्ट अर्थ होगा कि जब तक माल गंतव्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक स्वामित्व में रहेगा। माल आपूर्तिकर्ता के पास रहता है, अर्थात्, निर्धारिती। खरीद आदेश में निहित "भुगतान की शर्तें" खंड के अनुसार, सामग्री की प्राप्ति और सत्यापन के बाद आपूर्ति के लिए 100% भुगतान क्रेता द्वारा किया जाना था। इस प्रकार, खरीदार द्वारा निर्धारिती को पहले कोई पैसा नहीं दिया गया था और सामान की प्राप्ति के बाद ही प्रतिफल किया जाना था जो खरीदार के परिसर में था। उपरोक्त से, यह स्पष्ट होगा कि माल की बिक्री निर्धारिती के कारखाने के गेट पर नहीं बल्कि खरीदार के स्थान पर माल की डिलीवरी पर हुई थी।

उपरोक्त खरीद आदेश का स्पष्ट इरादा सामान की डिलीवरी के समय खरीदार के परिसर में माल में संपत्ति को खरीदार को हस्तांतरित करना था और माल की बिक्री अधिनियम की धारा 19 के आधार पर, माल में संपत्ति उसी समय को उस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था। धारा 19 इस प्रकार है:

"19. संपत्ति पारित होने का इरादा होने पर पारित हो जाती है - (1) जहां विशिष्ट या सुनिश्चित वस्तुओं की बिक्री के लिए कोई अनुबंध होता है, उनमें संपत्ति खरीदार को ऐसे समय में स्थानांतरित कर दी जाती है, जब अनुबंध के पक्षकार इसे स्थानांतरित करने का इरादा रखते हैं।

(2) पक्षों के इरादे को सुनिश्चित करने के लिए अनुबंध की शर्तों, पक्षों के आचरण और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा।

(3) जब तक कोई अलग इरादा प्रकट न हो, धारा 20 से 24 में निहित नियम पक्षों के इरादे को सुनिश्चित करने के लिए नियम हैं कि किस समय माल में संपत्ति खरीदार को दी जानी है।

ये न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा दर्ज की गई उपरोक्त पंक्तियों पर तथ्यों की स्पष्ट खोज हैं। हालाँकि, सीईएसटीएटी ने इन सभी पहलुओं पर विचार नहीं किया और निर्धारिती की अपील को अनुमति दे दी केवल एस्कॉटर्स जेसीबी लिमिटेड [(2003) 1 एससीसी 281: (2002) 146 ईएलटी 31]के फैसले का जिक्र करते हुए। जाहिर तौर पर फैसले में दिए गए सटीक सिद्धांत की सीईएसटीएटी द्वारा सराहना नहीं की गई है।" [अनुच्छेद 12-15 पर]

32. यह देखा जाएगा कि यह तथ्यों के आधार पर एस्कॉटर्स जेसीबी के मामले को अलग करने वाला निर्णय है। यह पाया गया कि सामान केवल खरीदार के स्थान पर ही वितरित किया जाना था और सामान की कीमत में परिवहन शुल्क शामिल था। चूंकि निर्धारिती के खाते में पारगमन क्षति का अर्थ यह होगा कि जब तक माल अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक माल का स्वामित्व आपूर्तिकर्ता, अर्थात् निर्धारिती के पास रहेगा, माल दुलाई शुल्क को उत्पाद शुल्क के एक घटक के रूप में जोड़ना होगा।

इसके अलावा, खरीद आदेश में निहित भुगतान खंड की शर्तों के अनुसार, भुगतान केवल खरीदार के परिसर में माल की प्राप्ति के बाद ही किया जाना था। इसलिए, तथ्यों के आधार पर, यह माना गया कि माल की बिक्री निर्धारिती के कारखाने के गेट पर नहीं हुई थी। इसके अलावा, इस न्यायालय का ध्यान मूल रूप से अधिनियमित धारा 4 की ओर आकर्षित नहीं किया गया था और यह प्रदर्शित करने के लिए संशोधित किया गया था कि खरीदार का परिसर, कानून में, उक्त धारा के तहत "हटाने की जगह" नहीं हो सकता है।

33. जैसा कि वर्तमान मामले में देखा गया है, सभी कीमतें "पूर्व-कार्य" थीं, जैसे एस्कॉर्ट्स जेसीबी के मामले में तथ्य हैं। निर्धारिती द्वारा उचित बिक्री कर के भुगतान पर ही कारखाना से माल को मंजूरी दे दी गई थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि उसने अपने द्वारा निर्मित माल को कारखाना गेट पर बेच दिया था। कभी-कभी पहले से ही ऋण पत्रों और बैंक छूट सुविधाओं के आधार पर बिक्री की जाती थी। कारखाने में सीधे ग्राहक के नाम पर चालान तैयार किए जाते थे जिसमें बीमा कंपनी के नाम के साथ-साथ ट्रांजिट बीमा पॉलिसी की संख्या का भी उल्लेख किया जाता था। सबसे बढ़कर, उत्पाद शुल्क चालान कारखाना से माल निकलते समय प्रतिवादी के ग्राहकों के नाम और पते पर तैयार किए गए थे। जब माल ट्रांसपोर्टर को सौंप दिया गया था, तो प्रतिवादी के पास माल के निपटान का कोई अधिकार नहीं था और न ही उसने ऐसे अधिकार सुरक्षित रखे थे, क्योंकि स्वामित्व पहले ही इसके ग्राहक को पारित हो चुका था। इसलिए, तथ्यों के आधार पर, यह स्पष्ट है कि रूफिट का निर्णय पूरी तरह से अलग है। इसी प्रकार आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुंबई-III बनाम मैसर्स एम्को लिमिटेड, में इस न्यायालय ने रूफिट इंडस्ट्रीज के मामले में अपना निर्णय फिर से सुनाया लेकिन मामले को यह निर्धारित करने के लिए न्यायाधिकरण को भेज दिया कि क्या तथ्य यह है कि निर्धारिती का कारखाना गेट उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को

हटाने का स्थान था। यह मामला फिर से रूफिट इंडस्ट्रीज मामले की तरह ही तथ्यों पर पूरी तरह से अलग है।

34. हमने कानून का जो लिया है और साथ ही ऊपर दिए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, श्री एस.पी.दहिवाड़े द्वारा दिया गया बयान महत्वहीन है, जैसा कि न्यायाधिकरण ने सही ढंग से माना है। इसलिए, हम लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के इस अपील को खारिज करते हैं।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता चित्रा भदौरिया द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।